

GUMLA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 587751241220011056

Date : 24-12-2020

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री **MARIANUS MINZ S/O LATE DOMNIK MINZ,**
मोहल्ला **DUMBAR TOLI GUMLA Gumla , 9835956192**
GUMLA , 835207

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0090000346000M0 वार्ड सं० 9 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	
2.	जल कर	51.00
3.	शीचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		51.00



(Handwritten Signature)

To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, GUMLA NAGAR PARISHAD Website, gumla.nagarnagar.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिका 11.4 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। शिवायत ही यहाँ है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए संपूर्ण भूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% को रिगलव भी वापसी।
- किसी देय भूति को निर्दिष्ट सम्पत्ति (प्रत्येक शिमावली) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथा गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित प्राप्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- GUMLA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरालदियों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मातृक/दस्तावेज को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये इतिहास नमों का अखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विविध संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.